



HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक 20.03.2023

प्रभावी पैरवी कर पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई-

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 20.09.2013 को थाना बिंवार, जनपद-हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 802/13 अन्तर्गत धारा 363 366 376(च) आईपीसी व 04 पोक्सो एक्ट में नामजद अभियुक्त राम गोपाल पुत्र जवाहर निवासी बिलहड़ी थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम 12 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा दिलाई।